

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1947

(12 अगस्त, 2025 ई०)

खण्ड-529

अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल ने जीरो ऑवर के तुरन्त बाद कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ न लिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधायी कार्य हो जाने के उपरान्त सरकार कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर जवाब देने से बचना चाहती है, इसलिए कार्य-सूची में अन्तिम में इसे रखा गया है। लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। उन्होंने पूर्व की भांति कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को जीरो ऑवर के बाद लिये जाने का अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने नियमावली दिखवाकर निर्णय लेने की बात कही।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल ने जनपद फतेहपुर में मकबरा पर कब्जा किये जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक दल के नेता ने 7 दिन पूर्व ही उक्त मकबरे को तोड़ने एवं कब्जा किये जाने का एलान किया था। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर स्थल को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण पुलिस से धक्का-मुक्की कर मकबरे को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ गया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उक्त घटना में सरकार अथवा सरकारी तंत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उक्त घटना में शामिल 10 नामजद एवं 150 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट थाना कोतवाली, जनपद-फतेहपुर में दर्ज की गयी है। सरकार कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अवश्य करेगी।

सरकार के उत्तर से असन्तुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि उल्लिखित घटना पर मा0 मंत्री जी का जवाब आ गया है। यदि आप अपनी सूचनाओं पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप अपने स्थान पर चले। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सदन में इस प्रकार की एनार्की पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप लोग अपने स्थान पर चलिए। सरकार चाहती है कि सदन चले, लेकिन आप लोग इसके इच्छुक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर भी सदन के वेल में उपस्थित सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान बना रहा।

आज दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 100 सूचनाएं प्राप्त हुईं, समस्त सूचनाएं स्वीकार की गईं।

क्र०-सं०	नाम	विषय
1	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम मंगोली खुर्द से राजस्थान सीमा तक कच्चे मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में।
2	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	जनपद जालौन में रेलवे ओवरब्रिज पर यू-कट लगाने के सम्बन्ध में।
3	श्री हरिओम	जनपद कासगंज में 33/11 के०वी० नवीन विद्युत उपकेन्द्र बजीरपुर निर्माण के सम्बन्ध में।
4	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह	प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या-35 (झलवा) में सीवर नेटवर्क व पेयजल पाइप लाइन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
5	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य	जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड विट्ठल मंगरौरा, कोहंडौर से सरसील तक सड़क मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में।
6	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद लखीमपुर खीरी के एन०एच०-24 से जहानगंज बबरक मोहम्मदी मार्ग (पैकेज नम्बर QPO70 44157) निर्माण के सम्बन्ध में।
7	डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम वासुदेवपुर से रोकसो कुमार के घर तक पी०डब्ल्यू०डी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
8	डॉ० शलभ मणि त्रिपाठी	देवरिया नगर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु अवैध मजार हटाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र में हदावल में ग्राम रक्सा में सड़क निर्माण एवं बाराखाल तिराहे पर श्री लालसा प्रसाद मिश्रा की आदमकद प्रतिमा की स्थापना के सम्बन्ध में।
10	श्री मनोज कुमार प्रजापति	हमीरपुर मुख्यालय बस स्टैंड का विस्तार कराने के सम्बन्ध में।
11	श्री राज प्रसाद उपाध्याय	जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम पंचायत फूलपुर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती रेखा वर्मा	जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में।
13	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झाँसी के विकास खण्ड बामौर में लिफ्ट नहर एवं अन्य नहर निर्माण के सम्बन्ध में।
14	ई० सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से ग्राम प्रधान को भुगतान में हो रही समस्या के सम्बन्ध में।
15	श्री पीयूष रंजन निषाद	जनपद प्रयागराज में पूर्व की भांति मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) की बहाली के सम्बन्ध में।
16	श्री सुरेन्द्र चौरसिया	जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में 33/11 के०वी० विद्युत सब-स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में।
17	श्री हृदय नारायण सिंह पटेल	जनपद मऊ के अन्तर्गत साप्ताहिक बाजार हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।
18	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी	आंगनवाड़ी कार्य कर रही कार्यकर्त्री की गलत तरीके से की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में।
19	श्रीमती मिथलेश पाल	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में जलभराव एवं प्रदूषण की समस्या के निवारण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
20	श्री अशरफ अली खान	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम टिलौली तक पक्के नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बबू भईया	जनपद बदायूँ में विद्युत विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में।
22	श्रीमती ओममणी वर्मा	जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के सम्बन्ध में।
23	श्री सुधाकर सिंह	जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र में कोपागंज से कसारा जर्जर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
24	श्री मनीष रावत	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	डॉ० पल्लवी पटेल	जनपद लखनऊ के 65, एम०आई०जी० कॉलोनी के आवासों में गाड़ी खड़ी करने के लिए शेड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री भूपेश चौबे	जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में।
28	श्री रमेश सिंह	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे टेक्नीशियन की तैनाती के सम्बन्ध में।
29	श्री प्रदीप कुमार सिंह गुड्डू चौधरी	मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा से निकलने वाले माइनर से किसानों को सिंचाई में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।
30	श्री नन्द किशोर गुर्जर	जनपद गाजियाबाद के वि०स० क्षेत्र लोनी में लोनी शिव विहार मेट्रो का मनडोला तक विस्तार के सम्बन्ध में।
31	श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर अन्तर्गत ग्राम चकफेरी में प्रा० स्कूल से गांव के चौराहे तक (500 मीटर) मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
32	श्री गणेश चन्द्र	जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड पौली के ग्राम पंचायत शिवकरन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।
33	श्री किरत सिंह	जनपद सहारनपुर के गंगोह विधान सभा क्षेत्र में 150 मीटर कच्चे मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
34	श्री सुरेन्द्र मैथानी	कानपुर नगर में पनकी हनुमान मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
35	श्रीमती पूनम संखवार	जनपद कानपुर देहात के वि०स० क्षेत्र रसूलाबाद में कतिपय सड़कों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री मूल चन्द्र सिंह	जनपद जालौन के माधौगढ़ में यमुना नदी पर सुरक्षा दीवार के निर्माण के सम्बन्ध में।
37	श्री प्रेम नरायन पाण्डेय	जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली पर आयुष चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के सम्बन्ध में।
38	श्री निर्मल वर्मा	जनपद सीतापुर के बिसवां में सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
39	मेजर सुनील दत्त द्विवेदी	जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम महलई में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
40	डॉ० अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल में मिट्टी खुदाई से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में।
41	प्रो० श्याम बिहारी लाल	जनपद बरेली के फरीदपुर में मण्डी स्थल निर्माण के सम्बन्ध में।
42	श्री प्रभात कुमार वर्मा	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में मकोइया से सिकरी अगया घाट तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
43	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के नगर पालिका मुगलसराय में जी०टी० रोड सम्पर्क मार्ग से रजत जयन्ती मार्ग काली महाल चौराहे तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
44	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारान में आवास विकास परिषद् द्वारा शाकुम्भरी विहार आवासीय योजना में प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
45	श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू	जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा के ग्राम पंचायत कमहरिया में नाली तथा इण्टरलॉकिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।
46	श्री बृजेश कुमार	जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज में उन्नाव-सण्डीला मार्ग पर सई नदी पर पुल की मरम्मत के सम्बन्ध में।
47	श्री जय कुमार सिंह जैकी	जनपद फतेहपुर के बिन्दकी में मलावां औद्योगिक क्षेत्र के जल निकासी हेतु नाला/सीवरेज के निर्माण के सम्बन्ध में।
48	श्री शफीक अहमद अंसारी	जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र स्वार के टांडा के मेन रोड पर स्थित दुकानों को तोड़ने से रोकने के सम्बन्ध में।
49	श्री राम निवास वर्मा	जनपद लखनऊ के बिजनौर में ग्राम सरवन में प्रचीन शिव मन्दिर के बाहर नाली तथा इण्टरलॉकिंग निर्माण के सम्बन्ध में।
50	श्रीमती राजबाला सिंह	जनपद रामपुर में जिलाधिकारी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
51	श्रीमती विजमा यादव	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम-छतौना में सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में।
52	श्री राम खिलाड़ी सिंह	जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के मड़कावली में विद्युत केन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के सकलडीहा-डेढावल से रेलवे स्टेशन मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
54	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के इकलौते राजकीय डिग्री कॉलेज में एम०ए०सी० विषय वर्ग को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
55	श्री राकेश कुमार यादव	जनपद बलरामपुर के गौसड़ी-पचपेड़ा के बीच 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के सम्बन्ध में।
56	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	जनपद इटावा में गौ-संरक्षण हेतु काऊ सफारी निर्माण के सम्बन्ध में।
57	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के ग्राम बालानगर से ग्राम सहेलिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
58	श्री अमिताभ बाजपेई	जनपद कानपुर नगर में लोहे के व्यापारियों का पुनर्स्थापन हेतु भू-खण्ड आवंटन शुल्क के सम्बन्ध में।
59	श्री लकी यादव	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी की कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में।
60	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-मालीपुर सम्पर्क मार्ग से इस्माइलपुर गंज तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री त्रिभुवन दत्त	जनपद अम्बेडकरनगर के रामनगर बाजार में बाईपास निर्माण के सम्बन्ध में।
62	श्री प्रदीप कुमार यादव	जनपद औरैया के नगर पंचायत फफूंद को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में।
63	श्री वीरेन्द्र चौधरी	जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेंदा के अन्तर्गत कतिपय पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में।
64	श्री बेदी	जनपद गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग में कतिपय फर्म द्वारा किए गए कार्यों की जांच किए जाने के सम्बन्ध में।
65	श्री रविदास मेहरोत्रा	उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण में हो रही लापरवाही की जांच कर सुधार किये जाने के सम्बन्ध में।
66	श्री मौ० फहीम इरफान	जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील के अन्तर्गत शेष 172 आंगनवाड़ी भवन बनाए जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री मो० ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के ईसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकबन्दी किए जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
68	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा के धनौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अवशेष तटबन्ध के निर्माण के सम्बन्ध में।
69	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत पंचदौरा दोहरिया से बुझिया जुनूबी तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
70	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के अन्तर्गत किवाड़ नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
71	श्री आशु मलिक	विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
72	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत पट्टी रसूल कैथवल एवं थुलरई में मिनी स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में।
73	श्री महेन्द्र नाथ यादव	जनपद बस्ती के मुण्डेरवा चीनी मिल में बारह करोड़ उन्तीस लाख रुपये की धांधली के सम्बन्ध में।
74	डॉ० रागिनी	जनपद जौनपुर के ग्राम सभा मोलनापुर नहर पटरी से ग्राम सभा जमालपुर पाल बस्ती तक सड़क मार्ग के सम्बन्ध में।
75	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के संयुक्त महिला/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री सुशील कुमार शाक्य	जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम-गनीपुर जोगपुर में गाटा संख्या-1625 के भूमि विवाद के सम्बन्ध में।
77	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या के सोनैसा, रसूलाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।
78	श्री गुरु प्रसाद मौर्य	जनपद प्रयागराज के फाफामऊ के लालगोपालगंज से जठेवारा मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री नफीस अहमद	उत्तर प्रदेश मदरसा के शिक्षकों का वेतन समय से न मिलने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
80	श्रीमती मीनाक्षी सिंह	जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा नगर के सेवा सदन कुष्ठ आश्रम में 15 पक्के आवास बनाए जाने के सम्बन्ध में।
81	श्री वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहांपुर में लो०नि०वि० में कार्यरत वरिष्ठ सहायक द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
82	श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'	जनपद कानपुर नगर में बाबूपुरवा में सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।
83	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थान पर यमुना नदी पर पिचिंग का काम कराए जाने के सम्बन्ध में।
84	श्रीमती केतकी सिंह	जनपद बलिया में कतिपय राज्य मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
85	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
86	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में।
87	श्री स्वामी ओ०मवेश	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम पीपलीजट से शेखूपुरा धनसूरपुर तक मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
88	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।
89	श्री अनिल कुमार मौर्य	सहायक अभियन्ता, सेतु निर्माण को शिकायत के आधार पर हटाने के पश्चात् पुनः नियुक्ति दिए जाने के सम्बन्ध में।
90	श्री कमाल अख्तर	जिला कारागार मुरादाबाद द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का रिकार्ड न रखने के सम्बन्ध में।
91	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
92	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के सरधना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरधना से मसूरी मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
93	डॉ० राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निकासी हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।
94	श्री संजीव अग्रवाल	जनपद बरेली के एयरपोर्ट से अन्य शहर हेतु उड़ान संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।
95	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत नए थाने का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।
96	श्री उमर अली खान	जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गन्ना किसानों का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में।
97	श्री ब्रजभूषण राजपूत	जनपद महोबा के बेला ताल कस्बा में बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में।
98	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ के अस्पतालों की मरम्मत किए जाने के सम्बन्ध में।
99	श्री ओम प्रकाश	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली के सम्बन्ध में।
100	श्री प्रदीप शुक्ला	जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1/ 1024096/2025, दिनांक 14-07-2025 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, शहरी क्षेत्रों में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष 2025 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-2, (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरयू नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-3, वर्ष 2025 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-4, वर्ष 2025 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-5, वर्ष 2025 (निष्पादन और अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-6 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-9 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण मंत्री ने राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 को बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश कारखाना (पचहत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचना संख्या-963/36-03-2025/1792147, दिनांक 04 जुलाई, 2025 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा वर्ष 2021-2022 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड का 20वाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (निर्बाध उपगम के निबन्धन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2024 (अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2024) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण और पारेषण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025 (अधिसूचना दिनांक 08 जनवरी, 2025) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियमावली, 2025 (अधिसूचना दिनांक 26 मार्च, 2025) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2024 (अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल, 2025) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (रूफटॉप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (तृतीय संशोधन) (अधिसूचना दिनांक 03 जून, 2025) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) विनियमावली, 2025 (अधिसूचना दिनांक 06 जून, 2025) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2025 (अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2025) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने यू0पी0एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2024-2025) का ऊर्जा, सिंचाई, चीनी उद्योग, लोक निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य, नगर विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण, राजस्व, ग्राम्य विकास, खेल कूद एवं युवा कल्याण, गृह विभागों के वर्ष 1999 से 2024 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 155वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का बारहवां प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मण्डल के जनपद अमरोहा, मुरादाबाद व बिजनौर की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का तेरहवां प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मण्डल के जनपद मुरादाबाद व रामपुर की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का चौदहवां प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मण्डल के जनपद अमरोहा, बिजनौर व मुरादाबाद की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मण्डल के जनपद फतेहपुर की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का सोलहवां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मण्डल के जनपद कौशाम्बी व प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का सत्रहवां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मण्डल के जनपद कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर व प्रतापगढ़ की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का अट्टारहवां प्रतिवेदन जो प्रयागराज मण्डल के जनपद प्रयागराज, फतेहपुर व कौशाम्बी की क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, सदस्य ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति, वर्ष (2024-2025) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, जिसे श्री बम्बा लाल दिवाकर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री रजनीश चन्द्र अनुरागी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हसनगंज, जनपद-उन्नाव के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, सदस्य ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति, वर्ष (2024-2025) का सप्तम प्रतिवेदन, जो ग्रामीण अभियन्त्रण से सम्बन्धित है, जिसे श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, सदस्य ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति, वर्ष (2024-2025) का अष्टम प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। जिसे डा0 नीरज बोरा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा कुलपति, कुलसचिव विश्वविद्यालय प्रशासन लखनऊ विश्वविद्यालय के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का बीसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल सेक्टर) में उल्लिखित पशुपालन विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का इक्कीसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का बाइसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित कारागार विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का तेईसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित श्रम विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का चौबीसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल सेक्टर) में उल्लिखित कृषि विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का पच्चीसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का छब्बीसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित कारागार विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का सत्ताईसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित श्रम विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का अट्ठाईसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित कृषि विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का उन्तीसवाँ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

श्री अमन गिरि, सदस्य, विधान पुस्तकालय समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की विधान पुस्तकालय समिति (2024-2025) का प्रथम प्रतिवेदन, जो पदों के सृजन से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का प्रथम प्रतिवेदन जो वर्ष (2018-2019) के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का द्वितीय प्रतिवेदन जो वर्ष (2019-2020) के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का तृतीय प्रतिवेदन जो वर्ष (2007-2008) के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग का बेसिक शिक्षा समिति, इटावा से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो वर्ष (2018-2019) के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा विभाग का टाउन पॉलीटेक्निक, बलिया तथा जवाहर लाल नेहरू पॉलीटेक्निक महमूदाबाद, सीतापुर से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का पंचम् प्रतिवेदन जो वर्ष (2010-2011), (2011-2012) के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित ग्राम्य विकास विभाग के जिला विकास निधि एवं स्थानीय कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का लेखा, बाराबंकी तथा जिला विकास निधि एवं स्थानीय कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का लेखे, प्रतापगढ़ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो वर्ष (2018-2019)

के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित माध्यमिक शिक्षा विभाग के एफ0आर0 इस्लामिया इण्टर कालेज, बरेली तथा आर0एन0 टैगोर इण्टर कालेज, बरेली से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का सप्तम् प्रतिवेदन जो वर्ष (2006-2007) के लिये प्रतिवेदन में उल्लिखित राजकीय निर्माण विभाग का अन्तर्गामीण सड़क निर्माण योजना लखनऊ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

घोर व्यवधान के मध्य डॉ0 पल्लवी पटेल द्वारा सदन की वेल में समाजवादी पार्टी के सदस्यों के धरने का वीडियो बनाये जाने पर श्री अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज करते हुए उक्त वीडियो डिलीट करने एवं उसे किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड न करने के निर्देश दिये।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2024-2025) का अष्टम् प्रतिवेदन जो वर्ष (2010-2011) के लिये प्रतिवेदन उल्लिखित महिला एवं बाल विकास विभाग के बालगृह (बालिका) मीरजापुर कैन्नन शिक्षा समिति गैवीघाट मीरजापुर द्वारा संचालित तथा बालगृह (बालक) इलाहाबाद, ग्रामीण उत्थान समिति, मीरजापुर द्वारा संचालित से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2004-2005) व (2006-2007) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का बारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1992-1993), (2005-2006), (2006-2007) व (2009-2010) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रियल का0 लि0 से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1989-1990) व (1999-2000)

(वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 निर्यात निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2015-2016) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित, को प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2005-2006), (2006-2007), (2009-2010) व (2015-2016) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित, को प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति ने वर्ष (2024-2025) का गृह विभाग से सम्बन्धित समिति का पचपनवां प्रतिवेदन, जो “श्री शिवप्रसाद, निवासी ग्राम-रानीपुर बहेरा, जनपद-फतेहपुर के पुत्री की हत्या एवं बलात्कार की रिपोर्ट न लिखने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक प्रकरण”, “थाना-अजगैन, जनपद-उन्नाव में मु0अ0सं0-217 धारा-302 आई0पी0सी0 में वर्णित व्यक्तियों के ऊपर दर्ज मुकदमे के सम्बन्ध पुनः कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण”, “श्री त्रिवेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, जनपद-खीरी के ग्राम रसूलपुर, ब्लाक-कुम्भी द्वारा मानसिक उत्पीड़न के कारण की गयी आत्महत्या की जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण”, “श्रीमती शिवप्यारी पत्नी स्व0 राम भरोसे, निवासनी ग्राम-महडेउरा, मजरा-पिपरी, थाना-बेनीगंज, तहसील-सण्डीला, जनपद-हरदोई से सम्बन्धी प्रकरण”, “श्रीमती विमला देवी पत्नी स्वः राजकुमार, निवासनी ग्राम-महेशपुर, पोस्ट-कटैया, थाना-लीलापुर, जनपद-प्रतागढ़ से सम्बन्धित प्रकरण” पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति ने वर्ष (2024-2025) का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का चौवनवां प्रतिवेदन, जो “जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के राजस्व ग्राम मकूर, सन्धाना व बछौली में चकबन्दी के नियमों का अनुपालन न करने के चलते किसानों को हो रही समस्याओं से सम्बन्धी प्रकरण” एवं “श्री राम बहादुर पुत्र स्व0 तीजू राम, निवासी ग्राम नूरपुरकला (चिरैयाडांड), थाना-जैतापुर, जिला-अम्बेडकरनगर की भूमि पर जबरन खड़न्जा लगाने सम्बन्धी प्रकरण” पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

श्री धीरेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा, जेवर (गौतमबुद्धनगर) द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी (सी0ओ0), शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन दिनांक 28-02-2025 के सम्बन्ध में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि क्षेत्राधिकारी, शिकारपुर द्वारा मा0 सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मिलकर स्थिति स्पष्ट करते हुये मा0 सदस्य का समाधान करा दिया गया है तथा मा0 सदस्य द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अब उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है तथापि क्षेत्राधिकारी, शिकारपुर, बुलन्दशहर को यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुनवाई के प्रकरण में दूरभाष पर वार्ता किये जाने के दौरान सम्मानजनक/मर्यादित व्यवहार करना सुनिश्चित करें। उक्त के दृष्टिगत विशेषाधिकार की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है।

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दी गयी सूचना आज दिनांक 12-08-2025 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम- 63/64 के अनुसार दिये गये निम्नलिखित प्रकरणों को नियम-66 के अन्तर्गत जाँच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु मैंने विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है :-

1-श्री अनिल कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा, उन्नाव द्वारा निजी सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन दिनांक 29-01-2025 के सम्बन्ध में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से मा0 सदस्य के असन्तुष्ट होने के कारण।

2-श्रीमती मनीषा, मा0 सदस्य, विधान सभा, हमीरपुर द्वारा विद्युत उपकेन्द्र राठ हमीरपुर के कतिपय अभियन्ताओं/उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन दिनांक 17-01-2025 के प्रकरण में शासन द्वारा वांछित आख्या उपलब्ध नहीं कराने के कारण।

3-श्री अमरेश कुमार, मा0 सदस्य, विधान सभा, लखनऊ द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मोहनलालगंज के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन दिनांक 22-01-2025 के प्रकरण में शासन द्वारा वांछित आख्या उपलब्ध नहीं कराने के कारण।

4-श्री पूरन प्रकाश एड0, मा0 सदस्य, विधान सभा, मथुरा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन दिनांक

12-06-2025 के सम्बन्ध में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से मा0 सदस्य के असन्तुष्ट होने के कारण।

उपर्युक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना आज दिनांक 12-08-2025 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

तदुपरान्त घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज की कार्य-सूची की समस्त याचिकाएँ उपस्थित की हुयी मानी जाएंगी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की श्री गांधी विद्यालय इण्टरमीडिएट कालेज, कछवा, मीरजापुर के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु शासन द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या-488/ पन्द्रह-9-2024 संस्कृत शिक्षा अनुभाग (माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9) लखनऊ, दिनांक 15-03-2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभूषण उपाध्याय निवासी जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत बरबर/सल्लिया, जे0बी0 गंज में 132 के0वी0ए0 पावर हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर के ग्राम बौनी में बारात घर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामखिलाड़ी सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर-111 के अन्तर्गत लोहामई से करिया खेड़ा बाजपुर होते हुए सुनवर सराय तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के ग्राम फैजाबाद में बादशाही राव नदी पर कटान से बचाव हेतु 900 मी0 लम्बी सुरक्षा दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती संगीता व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्लूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में सुवाव नाले पर (गोसाईडीहवा-किटूरा- फूलपुर-बरगदवा) के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० विमलेश पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर में गोरखपुर वाया गोबरहिया-रकहट तक सरकारी बस को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत ग्राम पंचायत केशवनगर ग्रन्ट में 33/11 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के ब्लॉक जगदीशपुर में रायबरेली अयोध्या हाई-वे से ग्राम बढौली पूरे रुदीलाल तक मार्ग पर सी0सी0/इंटरलॉकिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत ग्राम हीरापुरा नीचेपुरा में मध्य मृगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लॉक हसवा के ग्राम नरैनी में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील बाँगरमऊ के ग्राम हिन्दूपुर में कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर गंगा जी की स्पिल पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज के ग्राम ढटिंगरा में 33 के0वी0ए0 का स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री नन्द किशोर गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के ठिकोली-बंथला मार्ग के किमी0 08 से बेहटा हाजीपुर मार्ग चैनल 0.00 से 8.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री विजेंदर त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत स्थित तिरगांवा हसनपुर पक्की सड़क से मोहम्मदपुर जमालपुर होते हुए सरौली पक्की सड़क तक खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम यादव, निवासी जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तेजपाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर में बोडाकी-जारचा बाइपास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप मंगल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत तुलसीपुर नगर की विद्युत आपूर्ति चीनी मिल तुलसीपुर के पास स्थित विद्युत उपकेन्द्र से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बनारसी लाल मोदनवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा में कुलपहाड़ नगर कि कान्हा गौशाला अजनर हेतु गौवंशों हेतु अतिरिक्त शेड, भूसा घर पर बाउन्डीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव अरजरिया व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी स्थित शेरवां बाजार में स्थापित 100 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की क्षमता 250 के0वी0ए0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र-04, सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम चोरादेव से सरबतपुर तक लगभग 02 किमी0 सम्पर्क मार्ग, भगवानपुर रोड से हरियाबांस, फिराहेड़ी होते हुये ग्राम खरखड़ी तक जाने वाला सम्पर्क मार्ग तथा ग्राम तिवाया से ग्राम माजरी तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड परतावल के अन्तर्गत श्यामदेउरवा में 33/11 के0वी0 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुबाष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मूंडापाण्डेय, के ग्राम पंचायत सलेमपुर में प्रधानमंत्री जन अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत

विद्यालय/महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महोबे अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ब्लॉक काकोरी के गाम अजमतनगर से ग्राम करझन मार्ग को हर घर जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही कम्पनी जिसने बिना लोक निर्माण विभाग से एनओसी लिए मार्ग को क्षतिग्रस्त किया उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री करन सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा चरखों से सूत की कताई मिल का चालू करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत वासदेवपुर की ठार पर दयाचरन की डेरी से महेश चन्द्र ठेकेदार के घर तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया के ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ दौलतपुर के मौजा देवरा में काली रोड से पं० जवाहर लाल नेहरू इंटर कॉलेज के पीछे तक आर०सी०सी०/इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद भार्गव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बबू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में खूँटा से गढ़ी मार्ग पर रिंद नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार गुप्ता निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा की तहसील मांट में जिला पंचायत मथुरा द्वारा बनाये गये कतिपय मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत ग्राम मछरी से अलीपुर मुख्य मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में ब्लॉक जसरा के अन्तर्गत ग्राम भीटा काली रोड से इरादतगंज यमुना स्वागत द्वार तक मार्ग निर्माण का कार्य (लं० 5 कि०मी०) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगत नारायण शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र 226, ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में वीर सावरकर चौक से मोहल्ला तालाबपुरा होते हुए वर्णी जैन इण्टर कालेज तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के विकास खण्ड फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम हेमापुर में नहर से आर०सी०सी० रोड तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के बेलवानोहर में 33/11 के०वी० पावर हाउस स्थापना के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के पो० हथियागढ़ के ग्राम अमौली में सिंचाई विभाग द्वारा नहर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र-41 के अन्तर्गत अमरोहा सम्भल जोय मार्ग लम्बाई 11.5 कि०मी० (प्रमुख जिला मार्ग) चैनेज-157 के 16.650 से 27.675 तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीशान प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड के आदर्श विहार में गीता लॉन से लेकर शर्मा टिम्बर के आगे तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती किरन निगम व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा विधान सभा क्षेत्र नौगावा सादात के अन्तर्गत ग्राम कुमखिया से रामपुर सफेद तक लम्बाई लगभग 01 कि०मी० सड़क का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखबीर व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में जगतपुर ग्राम पंचायत से लगी हुई ग्राम पंचायत पूरब गांव, सिद्धौर, मनोहरगंज, चिंचौली, रोजहिया, टांघन और झिंगना व कतिपय ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के ग्राम पंचायत इटरौर भीषमपुर मजरा बनवारीपुर विकास खण्ड कर्वी में ग्राम बनवारीपुर की क्षतिग्रस्त पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल अन्तर्गत नगर पंचायत भदरसा भरतकुण्ड में सम्पर्क मार्ग मिर्जापुर निमौली भदरसा मार्ग से नैपुरा भदरसा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वैभव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनुराग सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर विकास खण्ड जमालपुर के ग्राम केशवपुर से शेखापुर तक (लम्बाई लगभग 02 किमी०) तथा शेखापुर स्थित तालाब के किनारे से होकर श्री बृजेश सिंह के घर तक (300 फुट) सड़क का मरम्मत व पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामाश्रय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि राठौर व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर विकास खण्ड नूरपुर के छजलैट मेन मार्ग से बिशनपुरा धूंधली सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्यान सिंह पाल व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड सुइथाकला ग्राम सभा सुइथाकला में नहर की पटरी पर शंकर चौरसिया की दुकान से बाल संरचना विद्यालय तक खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बा वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक मसौली में बजहा रायपुर मार्ग से सेमरी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर विकास खण्ड रामनगर के ग्राम खतमीपुर में स्थित राइसमिल से शाहपुर औरांव गाँव तक का पिच मार्ग (02 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौतम चौहान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ग्राम सकरावल अन्दर नगर क्षेत्र गाटा संख्या-659/1 के रकबा 1300 वर्ग फुट व कतिपय भू-भाग को शासन द्वारा अभिलेखों में स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरोज जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत गंगा नदी के भीषण कटान से ग्राम पंचायत भुआल छपरा नौरंगा के मौजा चक्की आदि कतिपय स्थानों से विस्थापित हुए लोगों को मुख्य मंत्री आवासीय योजना से लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत शामली पानीपत खटीमा मार्ग से राजवाहे की पटरी बुडीना खुर्द तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद शमी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आदर्शपुरम त्रिवेणी नगर-03 में श्री बिजनेस सेन्टर से सीतापुर रोड को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र नाग व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ कस्बा मुबारकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैया अस्पताल में उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दिनेश रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की लेवल-2 की व्यवस्था को लेवल-3 किये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के क्वारसी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक शहर की पटरी की ओर आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय पंडित व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के नानपारा नगर के अन्तर्गत राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज में करसाना फीडर वजीरपुर पर नवीन 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिमल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के जखनियां तहसील परिसर में बाराबन्दा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम सभा नवीन नगर, ग्राम सभा बदरखां, ग्राम सभा रौंड़ा के निकट वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के नगर पालिका बेल्हा प्रतापगढ़ में सेनानी चौक मीरा भवन से पूर्व विधायक स्व0 राजाराम पाण्डेय के घर के सामने से होते हुए राम किशोर जायसवाल के घर तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तुषार दत्त मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत हाला में फतुल्लहपुर बरहट पिच रोड से छोटी जंगीपुर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशीष यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में विकास खण्ड रामपुर के अन्तर्गत जमालापुर-बाबतपुर मार्ग रिकेबीपुर से पूरेजीवन विजय पटेल के मशीन तक नव निर्माण पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा बलरामपुर पुलिस चौकी से ग्राम पटखौली होते हुए ग्राम शेखपुरवा होते हुए शहर बाई-पास आहोपट्टी रोड तक 3.00 किमी० तक क्षतिग्रस्त मार्ग का जीणोद्धार/लेपन कार्य हॉटमिक्स प्लाण्ट से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी पाठक व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र-311, के विकास खण्ड बनकटी के महादेवा चौराहे पर बड़ौदा यू०पी० बैंक से बौड़िहवा नहर तक नाला का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशरफ अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ऋषि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज की विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के महुवा अड्डा को ब्लॉक का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत एन०एच०-730, पचपेड़वा बड़नी सम्पर्क मार्ग से लक्ष्मीनगर चौराहा मल्दा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुजारी मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में शिव मन्दिर कलंजरा घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड-गौर के डेगंरहा-सोनवलिया मार्ग पर कनिकापुर पुल से सरयू नहर होते हुए बभनान अइलाकला मार्ग तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गंगेश्वरी के ग्राम बहादुरपुर में 33 के०वी०ए० के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री भोले सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया कटेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद व तहसील औरैया के अन्तर्गत ग्राम बीझलपुर में यमुना नदी पर सेतु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज के अन्तर्गत डिडई से मसिना खान गाँव तक सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पच्चाराम वौध व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के मड़ियाहूँ-मछलीशहर मार्ग बडेरी बरमबाबा से ग्राम सभा उतिराई में महेन्द्र वकील के घर तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर की तहसील मीरजापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मझवा में कछवा में कन्या डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की शासनादेश संख्या-100/2020/1741/26-3-2020 समाज कल्याण अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 30 जुलाई, 2020 में वर्णित प्राविधान के विपरीत जाति प्रमाण-पत्र मामले में बिना राज्य स्कूटनी कमेटी के आदेश दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद उस्मान पुत्र मुहम्मद इस्लाम, निवासी बिलारी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लॉक अछनेरा के ग्राम नागर में अटूस नागर सड़क मार्ग से गढ़ी नागर की धर्मशाला तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डम्बर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरेनी के ब्लॉक नरैनी के ग्राम कुखू में जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर बना रपटे के स्थान पर लघु सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के कस्बा खैरागढ़ में रोडवेज बस स्टैण्ड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा० नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड अन्तर्गत नगर निगम के तालाब को अमृत सरोवर योजना से सन्तृप्त करते हुए संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री आई०एस० मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लॉक खजुहा के अन्तर्गत सुल्तानगढ़ से बसन्तखेड़ा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर मनिहारन के सांचलू में सलेमपुर बंगला नहर की पटरी से सांचलू तक 500 मी० क्षतिग्रस्त का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पुत्र इसम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ओम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड हल्दौर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की तहसील बदलापुर पर अतिभारित 33/11 के०वी० व विद्युत उपकेंद्र पर एक अतिरिक्त 5 एम०वी०ए० पावर परिवर्तक लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज के नगर पंचायत आनंदनगर में उक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेज को उच्चीकृत कर कन्या महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के विकास खण्ड थानाभवन के ग्राम चन्देना माल से जन्धेड़ी मार्ग से नहर के पुल से नहर की पटरी पर लगभग 700 मी० सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत के विकास खण्ड बिनौली के ग्राम दाहा में पानी की टंकी से दाहा-निरपुड़ा मार्ग तक पक्की सड़क 1200 मी० का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्दू राजा व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० एम० पी० आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जोगीटेर से ग्राम डिबानापुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर के श्रमिक कुंजों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्सर्जित होती जहरीली गैसों व दुर्घटनाओं के दृष्टिगत शास्त्री चौक स्टेशन के पास स्थित खुले रफाका नाले को जनहित में ढकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के ग्राम सिकन्दरपुर खुर्द में मेवालाल चौधरी के घर से विनोद तिवारी के घर से होते हुए डामर रोड तक लगभग 300 मीटर उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवालाल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के बीबीखेड़ा, आवास विकास लखनऊ के पास हैमिल्टन एकेडमी स्कूल के बगल से पीछे जाने वाली 200 मीटर कच्ची सड़क को जनहित में बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के ब्लाक मोतीचक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सितुहियां में पिच सड़क से प्रेम नारायन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम नारायन व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कूरेभार के ग्राम पंचायत फूलपुर के फूलपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्दौर के ग्राम चाँदपुर अम्हेडा मार्ग से ग्राम मोहनपुर तक क्षतिग्रस्त पक्के मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के धनघटा विधान सभा क्षेत्र के बिड़हर घाट में इलेक्ट्रानिक शवदाह गृह बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र पाठक व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के कस्बा नानौता में राजवाहे के आबादी भाग में बाउण्डीवाल एवं पटरी पक्की सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुशी राम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के कस्बा जसराना में प्राचीन एवं प्रसिद्ध मन्दिर श्री बनखण्डेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुर के ग्राम पचदौरा दोहरिया से बुझिया जुनूबी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुद्धसेन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम गुनियापुर से दूधली होते हुए मेमन-भनेडा मार्ग के बीच छोईया नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में डॉ0 शाहिद जौनी पुत्र श्री रिजवान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्द्रपुर में लालगंज खीरो मार्ग से दुर्गा मन्दिर जगतपुर रामगढ़ी तक 01 किमी0 डामर रोड/इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम यादव, निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा के ग्राम हरचन्द्रपुर मौजा में आशीष सिंह के खेत पर नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के मकरन्दपुर कहिंझरी में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन, ग्राम रनवा से कोरीपुरा को जाने वाले रास्ते में मलंगा नाला पर पुल या रपटा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र विधूना के अन्तर्गत कस्बा सहार में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के तहसील स्याना के अन्तर्गत ग्राम मडोना निशुरखा सम्पर्क मार्ग से कुहड़ों वाली बस्ती होते हुए नहर तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम सैदपुर से सायफन पुलिस चौकी तक लम्बाई लगभग 01 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री सोमवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा० सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत ग्राम चिलसरी, मजरा फजलेगंज तथा ग्राम कुईयाधीर में नाली और सड़क निर्माण समाज कल्याण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजीव शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के नगर निगम गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम डुंडाहेडा वार्ड संख्या-27 में श्मशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश भाटी व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत ग्राम समसपुर मूड विकास खण्ड दहगवाँ में कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामखिलाड़ी व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की संस्कृति विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना में सम्मिलित जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में स्थित सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाराज परमहंस बरियाडीह के रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के नगर क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अस्पताल बहराइच में वेंटिलेटर, डायलिसिस, सीटी0 स्कैन व एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के ब्लाक डीह के अन्तर्गत ग्राम सभा पूरे उपाध्याय में पशु चिकित्सालय से पूरे उपाध्याय तक कच्चे मार्ग पर पक्की सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द्र अग्रहरि व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी, विकास खण्ड सिराथू के इचौली से भडेसर के बीच ससुर खदेरी नदी पर पुल का निर्माण व लगभग 02 किमी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छितानी लाल निर्मल व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद, विकास खण्ड बड़पुर में स्थित ग्राम सभा बीसलपुर तराई के मजरा गिन्दा नगरा में सड़क व पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रामादेवी व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत एम0बी0 मार्ग से खुदादिया से मुरादपुर (छूटे भाग) मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद मीणा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत ग्राम कुण्डेश्वर, हविलिया एवं इकदिल में स्थित अति प्राचीन तालाबों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राज कुमार सहयोगी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के वि0ख0 निगोही के ग्राम भवानीपुर से बंनकिया बाबा मन्दिर का डामरीकरण (1.5 किमी0) का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र-34, स्वार-टांडा के मेन रोड के किनारे स्थित दुकानों को तोड़ने से रुकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में नवनिर्मित पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में ग्राम बीरपुर व विकास खण्ड गिलौला के चन्द्रबुजुर्ग में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल स्थित क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग के डाकबंगला को तोड़कर नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत बौना भारी पुल से सरौरा पुल तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के हैरिंग्टनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की लेवल-2 की व्यवस्था को लेवल-3 किये जाने के सम्बन्ध में श्री वृजेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

प्रो० श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुता में कृषि विज्ञान केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उवेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत बस्तिया, बनकटवा, दुर्गापुर होते हुए रामपुर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेलथरा रोड में बरौली से बनकटवा लगभग 5 किमी० जर्जर रोड के निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवनाथ व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के मौहल्ला बगिया वारह सैनी में जलभराव की समस्या से निदान के सम्बन्ध में श्री मुकुल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के नगर निगम जोन-3 के अन्तर्गत जानकीपुरम तृतीय वार्ड के साईं विहार स्थित याचीगण के मकान से ए०के०टी०यू० से मिर्जापुर पुलिया को जाने वाले मुख्य मार्ग के जोड़ने वाले मार्ग पर सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रैना गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू के अन्तर्गत बबेरू कस्बा में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम कोटा व पचगाई में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र छर्ना में कस्बा गंगीरी एवं कस्बा विजयगढ़ में राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील आर्य व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बामौर, गुरुसराय व मोंठ ब्लाक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा बुन्देला व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर के अन्तर्गत अरौल क्षेत्र को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राज मणि कोल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत बेलन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमुना प्रसाद मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-दोस्तपुर मार्ग को फोर लेन में परिवर्तित कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के विकास खण्ड सकरन अन्तर्गत भिठमनी पुल से ग्राम बड़हरपुरवा तक मार्ग को नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत गंगा नदी पर तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ की नगर पंचायत पाकबाड़ा में एक बड़े पेयजल टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी नईम व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सदर के ग्राम पंचायत एकौनी में बसन्तपुर माइनर सर्विस रोड से बृजभान के घर तक आर0सी0सी0 व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के वार्ड संख्या- 29 ओमपुरवा में मकान नम्बर-121 ए, से रंजीत राजपूत के मकान नम्बर-90/ए तक के रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड फूलपुर में स्थित पत्थी नहर पिच रोड से बाबूराम यादव के मकान तक पिच रोड के बीच में छूटा हुआ मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 तारिक व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र के राबट्सगंज नगर के महिला थाना मोड़ से न्यू कालोनी से पकरी तक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री बलराम सौनी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में डाक बंगले से छितौना देवकली वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में नवसील धाम से मकड़ी खेड़ा तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में सीर मवई से समदा सहोदरपुर में नाले पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन नाथ मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा० आर० के० वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के ग्राम गुलरा तथा गजेहड़ा के बीच बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मो० सलीम व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के वि०ख० सादाबाद के ग्राम नौगांव के माजरा नगला कला पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

तदुपरान्त घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने अन्तरिक्ष में एक्सियम मिशन-04 को सफलतापूर्वक पूर्ण करके भारतीय अन्तरिक्ष मिशन को गौरव प्रदान करने के लिए कैप्टन शुभांशु शुक्ल को सदन की ओर से बधाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

डॉ० नीरज बोरा ने उक्त प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री हृदय नारायण दीक्षित, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सुशोभित किये जाने पर सदन की ओर से बधाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' को इंगित करते हुए कहा कि विपक्ष की महत्वपूर्ण लीडर होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सदन के सुचारु संचालन हेतु अपने आसन पर वापस जाने हेतु विपक्ष के साथियों से अनुरोध कर लें।

इस पर श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने सहमति व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष की बात सुने जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वह सुनने के लिए तैयार हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उल्लिखित घटना में एफ0आई0आर0 लिख ली गयी है, जितने लोग उसमें सम्मिलित हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।

इस पर सदन के वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत आज दिनांक 12-08-2025 को पुरःस्थापित विधेयकों का विचार एवं पारण आज ही करा लिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।”

इस पर श्री कमाल अख्तर द्वारा जनपद-फतेहपुर की घटना को सुने जाने का पीठ से अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' जी ने नियम-56 में दिया है, जिसे स्वीकार किया गया है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल द्वारा आज की कार्य-सूची के विषयों को नियमावली से निहित प्राविधानों के अनुरूप न होने की बात कहे जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम-315 के अन्तर्गत सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य के सापेक्ष अग्रता के लिए लिखा हुआ है, जिसके अनुसार शपथ, प्रश्न, निधन के निर्देश, पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्यपाल के संदेश, परिषदों से संदेशों की संसूचना, विधेयक पर राष्ट्रपति, राज्यपाल की अनुमति से सम्बन्धित सूचना, दण्डकारी अथवा प्राधिकारी, समितियों के प्रतिवेदन, विधेयकों के सम्बन्ध में

प्रवर समिति, संयुक्त समिति के समक्ष रखे जाने के विषय, याचिकाओं का उपस्थापन, प्रश्न जिसमें विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न हो, सदन के उपवेशन की अनुपस्थिति, अनुज्ञा के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों को लेकर अध्यक्ष के द्वारा घोषणा, अध्यक्षीय व्यवस्थायें तथा सदन में कार्य-स्थगन के प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति का प्राविधान है, किन्तु यह भी संज्ञान लिया जाना उचित होगा कि दिनांक 27 अगस्त, 2015 को, जिस समय नेता विरोधी दल इस आसन पर सुशोभित थे, के द्वारा भी आज की कार्य-सूची के अनुरूप कार्य-सूची प्रस्तुत की गयी थी।

इस पर श्री महबूब अली ने सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पहले जनपद फतेहपुर की घटना को सुने जाने का अनुरोध किया। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने भी इस पर बल दिया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जो विषय चल रहा है, उस पर बोलिए।

तदुपरान्त श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

“उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

इसी मध्य 01 बजकर 31 मिनट अधिष्ठाता डॉ० मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्य सदन की वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा० मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि “उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025 पारित किया जाय”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।”

घोर व्यवधान के मध्य श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

मा० मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।”

घोर व्यवधान के कारण श्रीमती आराधना मिश्रा ‘मोना’ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

तदुपरान्त मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।”

घोर व्यवधान के कारण श्रीमती आराधना मिश्रा ‘मोना’ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

तदुपरान्त मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री द्वारा विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये गये।

तदुपरान्त कोई संशोधन प्राप्त न होने के कारण मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-16 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

“संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये गये।

तदुपरान्त कोई संशोधन प्राप्त न होने के कारण मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-18 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य आज दिनांक 12-08-2025 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में लोगों को इलाज, दवाइयां, अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने, मवेशियों को चारा उपलब्ध न होने एवं बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु निकले व्यक्तियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री कमाल अख्तर व अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर किसी सदस्य द्वारा विचार व्यक्त नहीं किये गये।

घोर व्यवधान के कारण प्रदेश की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति (दिनांक 20-06-2025 जनपद बिजनौर की घटना, जनपद लखनऊ 27-07-2025 की घटना का उल्लेख) विषयक श्री मनोज कुमार पारस एवं अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर किसी सदस्य द्वारा विचार व्यक्त नहीं किये गये।

प्रदेश में बदहाल विद्युत व्यवस्था की स्थिति विषयक डॉ० रागिनी एवं अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर किसी सदस्य द्वारा विचार व्यक्त नहीं किये गये।

प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के मर्जर विरोध के प्रकरण में जनपद प्रतापगढ़ के माननीय विधायक सहित प्रदेश के अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक डॉ० आर० के० वर्मा, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर किसी सदस्य द्वारा विचार व्यक्त नहीं किये गये।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने जनपद फतेहपुर की घटना पर विचार व्यक्त करने हेतु सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों से अपने आसन पर वापस जाने का अनुरोध किया किन्तु सदन के वेल में उपस्थित सदस्य वेल से ही सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।

घोर व्यवधान के मध्य आज दिनांक 12-08-2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 121 सूचनाएं प्राप्त हुईं, समस्त सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गयीं।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्री पंकज सिंह	जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा में गांव की विस्तारित आबादी में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री हरिओम	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर, तहसील सहावर के ग्राम पंचायत बाहपुर में बहापुर से नहर सैदपुर पुल तक 1.05 किमी० डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई, अन्तर्गत नगर पालिका उरई के अन्दर पूरे शहर की जल निकासी हेतु मलंगा नाले को पक्का बनवाये जाने हेतु।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
4	श्री राजेन्द्र कुमार	विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के वि०ख० सण्डवा चण्डिका में चमरौधा नदी पर दो मुहा पुल के दोनों तरफ अप्रोच मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा	विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में।
6	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगोली में 33 के०वी०ए० पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में।
7	डॉ० मनोज कुमार प्रजापति	विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के अन्तर्गत वि०ख० कुरारा के ग्राम मनकी कला, मनकी खुर्द, भैदन डेरा एवं ग्राम पंचायत भौली के मजरा कोतूपुर एवं पटिया आदि यमुना नदी के किनारे बसे हैं, में तटबन्ध के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	जनपद सन्तकबीरनगर की विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के राप्ती नदी तट पर 300 मीटर लम्बाई में पक्के घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री अनिल पाराशर	जनपद अलीगढ़ में स्थित कोल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्वारसी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक आर०सी०सी० निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी में गुरसराय मुख्य नहर की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु चौड़ीकरण व गहरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री सुरेन्द्र चौरसिया	विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	माँ गंगा घाट से लेकर कूड़ा चकसगुनपुर होते हुये पखरौली तक डबल लेन हॉटमिक्स प्लाण्ट की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
13	श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर एवं मेहनगर में स्थित शारदा सहायक खण्ड-32 तथा शारदा सहायक खण्ड-23 की नहरों में पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री हृदय नारायण सिंह पटेल	विज्ञापन संख्या-1 परीक्षा/2024 भैषजिक (आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट) भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
15	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी	विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री अशरफ अली खॉन	जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में काले वाले घाट पर बम्बों का पुल एवं उमरपुर रोड तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री राम फेरन पाण्डेय	जनपद श्रावस्ती के जनपद मुख्यालय में बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री उमाशंकर सिंह	पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किमी०-310 से गाजीपुर-तुर्तीपुर राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-108) पर स्थायी कट खोले जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री जगदीश नारायण	जनपद जौनपुर के थाना-जफराबाद अन्तर्गत ग्राम बजुहद्दीनपुर में दिनांक 26-07-2025 को धान के खेत में काम कर रहे लोगों की विद्युत लाइन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।
20	श्री श्रीराम चौहान	विधान सभा क्षेत्र खजनी, जनपद गोरखपुर वि०ख० उरुवा के अन्तर्गत डेबरा-ढकवा-शिवपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 8.200 किमी० का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री पंकज गुप्ता	राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, गोमतीनगर में प्रधानाचार्या के रिक्त पद पर तैनाती करने के सम्बन्ध में।
22	श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू	विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ में आराजी संख्या-160, रकबा 1.8210 हे० बाका मौजापुर दुबरीपुर, परगना माहुल थाना दीदारगंज, तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में दर्ज वाद सं० 24 रा०सं० का

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		उप जिलाधिकारी के विचाराधीन मुकदमे को निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री मुकेश चौधरी	विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में परगना सुल्तानपुर चिलकाना को तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री पंकज कुमार मलिक	प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों के मजदूरों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में।
25	श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी	जनपद हाथरस के वि०ख० सहपऊ के ग्राम परसौरा से खौंडा तक कच्ची सड़क के नव निर्माण/डामरीकरण के सम्बन्ध में।
26	श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर अन्तर्गत वि०ख० हसनपुर में फैयाजनगर में प्रथम बैंक से गाँव के चौराहे तक (500 मी०) मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री नन्द किशोर	दिल्ली-सहारनपुर मार्ग ओल्ड (709-बी) के निर्माण के सम्बन्ध में।
28	श्री गणेश चन्द्र	विधान सभा क्षेत्र-314, धनघटा, अन्तर्गत वि०ख० पौली के मुडियारी चौरा घाट पर पीपा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री किरत सिंह	विधान सभा क्षेत्र गंगोह, जनपद सहारनपुर के अम्बेहटा इस्लामपुर रामपुर रोड में इस्लामपुर तक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री सुरेन्द्र मैथानी	कानपुर स्थित प्राचीन पनकी हनुमान मन्दिर के बाहरी भाग के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
31	श्रीमती पूनम संखवार	विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत कतिपय सड़कों का डामरीकरण के सम्बन्ध में।
32	श्री प्रेम नरायन पाण्डेय	ग्राम पंचायत रानीपुर, वि०ख० तरबगंज तथा ग्राम पंचायत सोनौली मोहम्मदपुर, वि०ख० बेलसर में पानी सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
33	श्री प्रेमसागर पटेल	महराजगंज में रोहुआ नाला पर 12 स्पांन की पुलिया एवं 3 किमी० सड़क का चौड़ीकरण, रोहुआ नाले से सोहगीबरवां तक बनाये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री मूल चन्द्र सिंह	जनपद जालौन के तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत कुसमरा, अतरौली, अतरेहरी, मड़ैला मार्ग की पहुंज नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
35	मेजर सुनील दत्त द्विवेदी	जनपद फर्रुखाबाद अन्तर्गत वि०ख० बड़पुर में नाले की समस्या के निदान के सम्बन्ध में।
36	श्रीमती सरिता भदौरिया	सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद् इटावा क्षेत्र में जलभराव के निदान के सम्बन्ध में।
37	श्री निर्मल वर्मा	जनपद सीतापुर अन्तर्गत बिसेन्डा मार्ग से जुडईपुर होते हुए मंझिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री रवेन्द्र पाल सिंह	जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र छर्ना में स्थित वि०ख० अकराबाद में बस अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में।
39	प्रो० श्याम बिहारी लाल	राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में विज्ञान संकाय के पदों को स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री रमेश जायसवाल	विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में वि०ख० नियामताबाद के ग्राम हिन्दवारी गेराम के पश्चिम तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
41	श्री वृजेश कुमार	ग्राम हाजीपुर गोसा, तहसील हसनगंज, उन्नाव में श्मशान के नाम दर्ज गाटा का सीमांकन कराकर बाउण्ड्रीवाल, टीन शेड, सीमेन्टेड बेंच एवं एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री जय कुमार सिंह जैकी	जनपद फतेहपुर के खजुहा अन्तर्गत खूंटा से गढ़ी मार्ग में रिंद नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
43	श्री शफीक अहमद अंसारी	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत लघु सेतुओं के निर्माण के सम्बन्ध में।
44	डॉ० सुरभी	जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद में नगरीय पेयजल योजना द्वारा किये जा रहे अमानक/घटिया कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्रीमती राजबाला सिंह	जनपद रामपुर के पुलिस अधीक्षक, रामपुर से किये गये पत्राचार पर कोई कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
46	श्री जै किशन साहू	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत सीवर कार्य परियोजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्रीमती विजमा यादव	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, ग्राम पहाड़पुर चौराहा पक्की सड़क से हीरा गिरी मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
48	डॉ० संग्राम यादव	जनपद शाहजहाँपुर, थाना निगोहां में पी०डब्ल्यू०डी० की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।
49	डॉ० पल्लवी पटेल	जनपद भदोही के कतिपय गाँवों में किसानों की भूमि से यूपीसीडा का नाम निरस्त कर किसानों के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर सड़कों व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री विपिन कुमार डेविड	जनपद लखनऊ के तहसील सरोजनीनगर के कस्बा सरोसा-भरोसा के कल्याण सिंह वार्ड में श्री नितिन के घर से श्री इन्द्रेश व श्री मयंक के घर तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्री सुधाकर सिंह	नव प्रोन्नत उप निबन्धकों की तत्काल नवीन तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
53	इंजी० बृजेश कटेरिया	विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत किशनी रामनगर होकर विशुनगढ़ तक एवं किशनी चौराहे से बसैत होकर शमशेर मण्डी तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।
54	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा एवं जनपद चन्दौली के कतिपय गाँवों के किसानों की स्थलीय परीक्षण एवं सर्वे कराकर उनके फसलों के नुकसान का मुआवजा/अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री जियाउद्दीन रिजवी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरपुर बलिया में कुशल संचालन एवं उपचार हेतु चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में।
56	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
57	श्री मो० हसन 'रुमी'	जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड-36 बाकरगंज चौराहे से ईदगाह चौराहे तक लगे विद्युत डबल हाईटेंशन पोल खम्भों को बीच सड़क से हटाने के सम्बन्ध में।
58	श्री वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम नरवर में हाईटेंशन तार की चपेट से आने पर मृतक को आर्थिक सहयोग दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	जनपद इटावा के नगर पालिका भरथना में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री अमिताभ बाजपेई	हृदय रोग संस्थान एल०पी०एस० इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर को पूर्ण स्वायत्तशासी संस्थान बनाये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री लकी यादव	जनपद सुल्तानपुर में उर्दू अनुवादक के विभिन्न पदों पर कनिष्ठ लिपिक/सहायक पद पर पदोन्नति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
62	श्रीमती नसीम सोलंकी	महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के सम्बन्ध में।
63	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सीहमई करीराज (कोटवा) शारदा सहायक नहर से कोटवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
64	श्री विशम्भर सिंह यादव	चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान बांदा में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ई०पी०एफ० कटौती कराये जाने के सम्बन्ध में।
65	श्री त्रिभुवन दत्त	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर, अन्तर्गत नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में।
66	श्री प्रदीप कुमार यादव	जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के नगर पंचायत अछल्दा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री संग्राम सिंह	विधान सभा क्षेत्र फेफना अन्तर्गत NH-31 से ग्राम सभा बसन्तपुर के रामगति के डेरा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
68	श्री ओम प्रकाश	जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत मेसर्स अनुक्ता कन्सल्टेशन द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के साथ सरकारी निविदाओं में प्रतिभाग करने के प्रकरण की, मेसर्स राजकुमार गहमर द्वारा कराये गये खराब गुणवत्ता के कार्यों की टी०ए०सी० जाँच के प्रकरण की विस्तृत बिन्दुवार जाँच कराकर कार्रवाई के विषय में।
69	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के वि०ख० सांगीपुर अन्तर्गत अन्तर्जनपदीय मार्ग पर एक पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
70	श्री वीरेन्द्र चौधरी	नगर पंचायत कुर्थीजाफर जनपद मऊ में हो रहे मानक विपरीत कार्यों की शिकायत का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
71	श्री मनीष कुमार उर्फ मन्दू	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत ब्लॉक पडरौना के लक्ष्मीपुर और ब्लॉक विशुनपुरा के सूरजनगर ढोरही में 33/11 सब-स्टेशन का निर्माण कार्य एवं नगरीय क्षेत्र पडरौना में एल०टी० ए०बी०सी० वायर को 1 फेस से आवश्यकतानुसार 2-3 फेस कराकर जर्जर एवं क्षतिग्रस्त तारों को बदलने के सम्बन्ध में।
72	श्री रविदास मेहरोत्रा	जनपद लखनऊ के हुसैनगंज पावर हाउस की घोर लापरवाही से मासूम बालक की मृत्यु पर दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं पीड़ित को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
73	श्री मो० ताहिर खान	विधान सभा क्षेत्र इसौली जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक दुबेपुर अन्तर्गत ग्राम सभा महाराजगंज से दुल्लापुर में रोड को गड़ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
74	श्रीमती मिथलेश पाल	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर, वि०ख० जानसठ के ग्राम मजलिसपुर तौफीर, जीवनपुर, रामपुर ढकरा में विद्युत की एल०टी० लाइन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।
75	श्री राजीव तरारा	विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा अन्तर्गत गजरौला में ट्रामा सेण्टर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़, ब्लॉक खैरागढ़ में रामजीराम मन्दिर दिगरौता से गोरऊ जाने वाले मार्ग को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में।
77	श्री देवेन्द्र कुमार निम	विधान सभा क्षेत्र मनिहारन में पैरामाउण्ट कॉलोनी में बिना मानचित्र के अवैध इमारत के निर्माण के सम्बन्ध में।
78	श्री आशु मलिक	नगर निगम गाजियाबाद द्वारा एनजीटी नियमों के उल्लंघन कर आबादी क्षेत्र में डम्पिंग ग्राउण्ड निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
79	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत वि०ख० नेबुआ नौरंगिया में नया उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
80	श्री सुशील कुमार शाक्य	नगर पंचायत नवाबगंज, जनपद फर्रुखाबाद के अवर अभियन्ता की सम्बद्धता समाप्त करने के विषय में।
81	डॉ० रागिनी	कतिपय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा स्वच्छता की निविदा में मनमाने तरीके से मूल्य का निर्धारण कर भारत सरकार व एचआईसीसी की गाइडलाइन के उल्लंघन के सम्बन्ध में।
82	श्री गुरु प्रसाद मौर्य	विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ में लखनऊ राजमार्ग से बैरहना सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में।
83	श्री अभय सिंह	ग्राम रामपुर हलवारा, तहसील सदर, जनपद अयोध्या के पूर्व प्रधान द्वारा कतिपय गाटा संख्या को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्यवाही के सम्बन्ध में।
84	श्री धर्मराज सिंह यादव	प्रस्तावित पार्क/सार्वजनिक स्थल हेतु भरवारा मल्हौर, पूर्वा चिनहट लखनऊ में स्थित भूमि पर जनहित में पार्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
85	श्री मोहित सोनकर “राहुल बच्चा”	विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर, कानपुर नगर अन्तर्गत स्थित सांभी झील का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
86	श्रीमती मीनाक्षी सिंह	जनपद बुलन्दशहर की खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग के सम्बन्ध में।
87	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद लखनऊ के नगर निगम जोन-8 में जोनल अधिकारी द्वारा किये जा रहे गलत गृह कर निर्धारण के सम्बन्ध में।
88	श्री वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहाँपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र के वि०ख० खुदागंज अन्तर्गत ग्राम सिमौरी डामर रोड से महमूदपुर उर्फ निजामपुर होते हुए ग्राम टेहरा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
89	श्रीमती सरोज कुरील	घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम काटर में प्रतीक्षार्त् निर्माण हेतु पड़े 35 मेगावाट के सोलर पावर प्लाण्ट के स्थापना के सम्बन्ध में।
90	श्री तसलीम अहमद	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम बड़िया में मालन नदी पर पुल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
91	श्री अतुल प्रधान	जनपद आगरा के डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शोध वैज्ञानिक का पूर्व का वेतन एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाली आनुतोषिक एवं पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
92	श्रीमती केतकी सिंह	विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के चाँदपुर सरयू नदी पर बनने वाले पुल को यथाशीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
93	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मोहान रोड स्थित अशोक नगर में सड़कों एवं नालियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
94	श्री बेचई सरोज	विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत 3-4 सालों में लगाये गये पेड़ों में हुई कागजी खानापूर्ति की उच्च स्तरीय जाँच के सम्बन्ध में।
95	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में जिला पंचायत की कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।
96	श्री जय प्रकाश अंचल	विधान सभा क्षेत्र बैरिया के स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों व स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
97	श्री अताउर्रहमान	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में नवेली मार्ग सकरस मोड़ से प्राइमरी होते हुए बहेड़ी-नवेली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
98	श्रीमती पूजा	मृतक योगेश कुमार पुत्र स्व० श्यामबली, ग्राम सिंहपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
99	डॉ० अनिल कुमार मौर्य	जनपद गाजियाबाद में गलत बिजली बिल एवं मीटर रीडिंग की व्यापक समस्या के सम्बन्ध में।
100	डॉ० राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में बेड्स (शैय्याओं) की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
101	श्री रमेश सिंह	बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में औषधि एवं रसायन आदि क्रय एवं रख-रखाव का कार्य प्रशिक्षित सर्जिकल स्टोर फार्मासिस्ट से न कराकर अप्रशिक्षित लिपिक द्वारा कराए जाने के सम्बन्ध में।
102	ईजी० सरवन कुमार निषाद	जनपद प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम तुलसीपुर में कब्जे के बराबर भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
103	श्रीमती जय देवी	जनपद लखनऊ की मधवापुर, दुबग्गा में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के पास स्थित शराब की दुकान को बन्द या अन्यत्र दूर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
104	श्री कैलाश राजपूत	स्वास्थ्य भवन लखनऊ के टी०बी० सेल में तैनात महिला कार्मिकों के शोषण के प्रकरण की जाँच के सम्बन्ध में।
105	श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद कन्नौज के चिकित्सा अधीक्षक को तत्काल अन्य जनपद में स्थानान्तरित करते हुये उच्च स्तरीय जाँच के सम्बन्ध में।
106	श्री लक्ष्मी राज सिंह	विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के प्राथमिक विद्यालय वैलाना, खत्रीवाल, काका डिग्री कॉलेज व अन्य स्थानों पर आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेन्शन लाइन को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
107	श्री उमर अली खान	विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्रामों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराने के सम्बन्ध में।
108	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बिलारी के जर्जर अवस्था में चिन्हित 22 विद्यालयों के भवनों की नीलामी कराते हुये ध्वस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
109	श्री प्रसन्न कुमार	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली सदर के मोहल्ला रेलपार के कुड़ाना रोड पर सूरजमहल विहार में ट्रान्सफार्मर को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
110	श्री समरपाल सिंह	उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3037/नौ-4-2024-5-2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
111	श्री कमाल अख्तर	राजकीय महाविद्यालय कांठ, मुरादाबाद में स्नातक स्तर पर उर्दू विषय शुरू कराने के विषय में।
112	श्री पल्लूराम	जनपद बलरामपुर सदर अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् में जल निगम द्वारा बनाये जा रहे सीवर लाइन व नाले से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
113	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर में विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत कस्बा किरतपुर में ओल्ड एन0एच0-119 पर मो0 असलम के खेत खसरा नं0-302 से मंडावर रोड तक बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।
114	श्री ब्रजभूषण राजपूत	विधान सभा क्षेत्र चरखारी, जनपद महोबा अन्तर्गत ब्लॉक चरखारी के ग्राम अक्ठौंहा में जमीन अधिग्रहण कर स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में।
115	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जिला पंचायत क्षेत्र इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के वार्ड नं0-12 में पंचायती राज विभाग द्वारा सड़क व नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।
116	श्री स्वामी ओझमवेश	विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम महमूदपुर से चोधेड़ी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
117	डॉ० नीरज बोरा	लखनऊ के फैजुल्लागंज में प्रस्तावित एवं वर्षों से लम्बित पेयजल और सीवर परियोजना को एस0एल0टी0सी0 बैठक में सम्मिलित कर स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
118	श्री राजीव गुम्बर	जनपद सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कराये गये अधोमानक कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में।
119	श्री प्रदीप कुमार चौधरी	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सैदपुर मार्ग से नीमचाना-अगौता होते हुए सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
120	श्रीमती गुड़िया कटेरिया	जनपद इटावा की विधान सभा क्षेत्र भरथना, विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुशगवां अहिरान में तालाब व रास्ते को कब्जामुक्त कराने के सम्बन्ध में।
121	श्री धीरेन्द्र सिंह	सेक्टर-18 बी/के, वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित घरों के ऊपर से गुजरने वाली 11000 के०वी०ए० की विद्युत लाइन को हटाये जाने हेतु।

घोर व्यवधान के मध्य सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।